

**विद्युत लोकपाल**  
**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग**  
**पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल (म0प्र0)**

**प्रकरण क्रमांक L00-14/2024**

मोहम्मद कलीम ,पिता मोहम्मद युसूफ  
खसरा क्रमांक 138 / 18 हमीदपुरा ,  
मार्फत बी0एच0 अंसारी / अनीस अहमद अधिवक्ता,  
निवासी 30 / 283 / 3 मोमिनपुरा, बुरहानपुर (म.प्र.)  
पिन कोड — 450331 (म.प्र.)

-

आवेदक

**विरुद्ध**

कार्यपालन यंत्री / सहायक यंत्री (शहर संभाग),  
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,  
शनवार रोड, बुरहानपुर (म0प्र0),  
पिन कोड - 450331 (म.प्र.)

-

अनावेदक

**आदेश**  
**(दिनांक 25.11.2024 )**

आवेदक की ओर से आवेदक के अधिवक्ता श्री अनीस अहमद अंसारी उपस्थित।

अनावेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री के0के0 जायसवाल, सहायक यंत्री, बुरहानपुर उपस्थित।

01. आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक W0565224 में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 से असंतुष्ट होने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के अंतर्गत यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त अभ्यावेदन में आवेदक के विद्युत संयोजन पर ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर मांग की जा रही विवादित राशि विधि विरुद्ध होने से निरस्त करने एवं भुगतान की गई राशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है।
02. आवेदनकर्ता ने "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2021 की कण्डिका 3.37 के प्रावधानानुसार विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्रस्तुत करने का कारण यह

बताया कि इन्दौर फोरम द्वारा दिनांक 18.04.2024 को पारित आदेश आवेदक को दिनांक 24.06.2024 को प्राप्त हुआ। आवेदक को फोरम द्वारा भेजे गए डाक लिफाफा की प्रति अभ्यावेदन के साथ संलग्न की गई। आवेदक द्वारा विलंब से अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के कारणों से संबंधित दस्तावेज अस्पष्ट थे एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021 की कंडिका क्र. 3.38 के अनुसार 50% विवादित राशि के भुगतान संबंधी विवरण भी अपूर्ण एवं अस्पष्ट था। अतः आवेदक को समुचित विवरण एवं स्पष्ट दस्तावेजों के साथ अभ्यावेदन को विलंब से प्रस्तुत किए जाने के कारणों के परीक्षण हेतु इस प्रकरण में दिनांक 09.09.2024 को सुनवाई नियत की गई।

- **दिनांक 09.09.2024 की सुनवाई के दौरान** आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अनीस अहमद अंसारी द्वारा बताया गया कि इन्दौर फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक W0565224 में दिनांक 18.04.2024 को पारित आदेश उपभोक्ता के सही पते पर नहीं पहुंचने के कारण डाक विभाग द्वारा लिफाफा इन्दौर फोरम को लौटा दिया गया। उक्त आदेश को इन्दौर फोरम से दिनांक 24.06.2024 को आवेदक प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया गया। उक्त कथन के साक्ष्य में उपभोक्ता प्रतिनिधि द्वारा लिफाफों की मूल प्रति प्रस्तुत की गई, जिसका मिलान अभ्यावेदन के साथ भेजी गई प्रतिलिपि के साथ सही पाया गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि इन्दौर फोरम का आदेश वेबसाइट पर भी समय से नहीं डाला गया था।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत कारणों एवं इन्दौर फोरम से प्राप्त जानकारी के आधार पर अभ्यावेदन को विलंब से स्वीकार किया गया। सुनवाई के दौरान आवेदक अधिवक्ता को यह सुझाव दिया गया कि वे अपनी E-Mail ID फोरम एवं विद्युत लोकपाल कार्यालय को सूचित करें ताकि त्वरित पत्राचार सुनिश्चित हो सके।

अतः मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021 की कंडिका क्र. 3.37 के परिपालन में आदेश प्राप्ति की तिथि **24.06.2024** मानते हुए अभ्यावेदन को **दिनांक 09.09.2024** को विलंब से स्वीकार कर दर्ज किया गया। अभ्यावेदन ग्राह्य कर उभय पक्षों को दिनांक 23.09.2024 को प्रारंभिक सुनवाई के लिये सूचना पत्र जारी किया गया।

03. प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु निम्नानुसार है:-

आवेदक के नाम से स्वीकृत भार 9 (नौ) एच.पी. का पावरलूम विद्युत कनेक्शन क्र. N3957021857 अनावेदक द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका मासिक विद्युत देयक आवेदक द्वारा नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहा है एवं कोई राशि बकाया नहीं है।

अनावेदक द्वारा पत्र क्र. 890 दिनांक 21.11.2023 द्वारा आवेदक से *les billing due to stopped/defective meters and average billing there of* का कारण दर्शाकर विवादित राशि रु. 11,651/- की मांग उक्त पत्र की प्राप्ति से 7 दिन के भीतर की गई। उक्त पत्र आवेदक को दिनांक 07.12.2023 को प्राप्त हुआ था।

आवेदक ने दिनांक 16.12.2023 को अनावेदक के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए उक्त राशि को निरस्त किये जाने एवं उक्त राशि आवेदक के आगामी बिलों में ना जोड़े जाने का निवेदन किया।

अनावेदक द्वारा आवेदक की उक्त आपत्ति का कोई निराकरण नहीं किया एवं विवादित राशि रु 11,651/- आवेदक के नियमित बिल माह दिसम्बर, 2023 के सी.सी.बी. एडजेस्टमेंट के कॉलम में जोड़ कर भेजी गई।

आवेदक ने दिनांक 28.12.2023 को पुनः अनावेदक के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त राशि आवेदक के नियमित बिल को हटाये जाने का निवेदन किया।

अनावेदक द्वारा उक्त पत्राचार किये जाने के उपरांत भी उक्त राशि आवेदक के नियमित बिल से हटायी नहीं जाने पर आवेदक के द्वारा माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन के समक्ष माह जनवरी, 2024 में शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए विवादित राशि को निरस्त कराये जाने का निवेदन किया गया।

इन्दौर फोरम द्वारा दिनांक 18.04.2024 को आदेश पारित करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायती आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया है। उक्त आदेश की प्रति आवेदक अधिवक्ता को दिनांक 24.06.2024 को इन्दौर फोरम के कार्यालय से बंद डाक लिफाफे के रूप में प्राप्त हुई। अतः आवेदक द्वारा उक्त आदेश से क्षुब्ध एवं दुखी होकर विद्युत लोकपाल के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

04. प्रस्तुत अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा निम्न प्रार्थना की गई :-

उक्त अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.04.2024 को निरस्त कर अपीलार्थी द्वारा भुगतान की

गई राशि को ब्याज सहित वापस दिलाये जाने एवं अपील का खर्च रु 5,000/- भी प्रतिअपीलार्थी से दिलाये जाने कि प्रार्थना की गई है।

05. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा उक्त प्रकरण क्रमांक **W0565224** में दिनांक **18.04.2024** को निम्नानुसार आदेश दिया गया :-

फोरम का निर्णय:-

*“फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारी एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है:-*

*01/ परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है।*

*02/ अभिमत में किये गये उल्लेखानुसार बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन में पाया गया कि परिवादी का मीटर माह फरवरी- 2021 के पश्चात् ही बन्द/खराब रहा। माह फरवरी-2021 के पश्चात् सितम्बर-2021 तक परिवादी को टी.एम.एम. के बिल जारी किये गये। परिवादी को माह अक्टूबर-2021 से अप्रैल-2022 तक 1517 यूनिट की औसत बिलिंग की गई। उक्त मीटर माह मई-2022 में बदला गया। परिवादी के यहां मीटर बदलने के पश्चात् प्रथम तीन माह जून, जुलाई एवं अगस्त, 2022 में क्रमशः मासिक खपत  $3465+1946+853=6264/3=2088$  यूनिट प्रतिमाह आती है। अंकेक्षण दल द्वारा इन्हीं माहों का औसत लेकर जो लेस बिलिंग की गई वह विधिक प्रावधान में उल्लेखित कण्डिका 8.44 के अनुसार सही है, जिसे फोरम उचित पाता है। अतः परिवादी का परिवाद स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है। विपक्ष नियमानुसार बकाया राशि की वसूली हेतु स्वतंत्र है।”*

06. सुनवाई का संक्षिप्त विवरण :-

- ❖ दिनांक **23.09.2024** को आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनीस अहमद अंसारी उपस्थित हुए। अनावेदक की ओर से श्री के0के0 जायसवाल, सहायक यंत्री, बुरहानपुर उपस्थित हुए। अनावेदक की ओर से उपस्थित, सहायक यंत्री ने अपने पक्ष में अधिकृत पत्र प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया। अनावेदक प्रतिनिधि श्री के0के0 जायसवाल द्वारा प्रकरण से संबंधित प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड में लेते हुए उसकी एक प्रति आवेदक अधिवक्ता को भी प्रदान की गई।

सुनवाई के दौरान आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने प्रकरण से संबंधित मौखिक जानकारी दी गई। अनावेदक श्री के0के0 जायसवाल द्वारा सूचित किया गया कि आवेदक उपभोक्ता द्वारा फोरम द्वारा निर्धारित विवादित राशि का 50 प्रतिशत जमा करा दिया गया है।

अनावेदक प्रतिनिधि को प्रकरण से संबंधित निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया :-

1. जनवरी 2020 से अगस्त 2024 तक मीटर में दर्ज खपत का विवरण आंकलित खपत के आधार के साथ।
2. आवेदक उपभोक्ता के समकक्ष पावर लूम, 9 एच.पी. के कम से कम दो अन्य उपभोक्ताओं का भी जनवरी, 2020 से अगस्त, 2024 तक का विद्युत खपत का विवरण।
3. उपलब्ध रिकार्ड अनुसार मीटर किस माह से खराब पाया गया ?
4. ऑडिट द्वारा प्रकरण के संबंध में लिखित पैरा रिपोर्ट की प्रति।
5. विद्युत प्रदाय संहिता में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार मीटर क्यों नहीं बदला गया, स्पष्ट करें ?

उपरोक्त जानकारी की एक प्रति आवेदक को भी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। आवेदक को जानकारी पर अपना प्रतिउत्तर दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 24.10.2024 को नियत की गई।

❖ दिनांक 24.10.2024 को आवेदक एवं अनावेदक की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं हुए। आवेदक अधिवक्ता ने अपने पत्र दिनांक 23.10.2024 (मेल द्वारा) निम्नलिखित कथन किया गया:-

- i उनके पिता का ऑपरेशन होने से वह दवा एवं उपचार हेतु हास्पिटल में व्यस्त हैं, जिस कारण से वह इस प्रकरण में उपस्थित होने में असमर्थ है।
- ii इस प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से लिखित तर्क एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा चुका है, केवल व्यक्तिगत सुनवाई के लिए वर्तमान प्रकरण आज नियत किया गया। उपरोक्त कारणों से आवेदक अधिवक्ता आज सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
- iii आवेदक द्वारा प्रकरण में दिनांक 04.11.2024 को नियत किए जाने का निवेदन किया गया।

अनावेदक कम्पनी ने अपने पत्र दिनांक 22.10.2024 ई-मेल द्वारा यह कथन किया कि :-

इस प्रकरण में पूर्व सुनवाई दिनांक 23.09.2024 को अनावेदक कम्पनी की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया गया है एवं दिशा-निर्देशानुसार दिनांक 08.10.2024 को प्रकरणों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी एवं दस्तावेज प्रेषित किए जा चुके हैं। अनावेदक कम्पनी की ओर से इसके अतिरिक्त कुछ भी कहा जाना शेष/बाकी नहीं है। माह अक्टूबर 2024 की स्थिति में निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विद्युत बिलों का भुगतान कराए जाने एवं राजस्व वसूली का कार्य

अनावेदक कम्पनी द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उपरोक्त कथन के साथ अनावेदक ने अनुरोध किया कि प्रकरण की सुनवाई दिनांक 24.10.2024 को उक्त कारण से अनावेदक की ओर से उपस्थिति दर्ज नहीं करायी जा सकती है। अतः पूर्व में प्रेषित किए गए जबावदावा, दस्तावेजों एवं अतिरिक्त जानकारी के आधार पर आदेश पारित करने का कष्ट करें।”

अतः उभयपक्षों की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण पर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 07.11.2024 को नियत की गई।

❖ दिनांक 7.11.2024 आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनीस अहमद अंसारी उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री के०के० जायसवाल, सहायक यंत्री, बुरहानपुर उपस्थित । सुनवाई के दौरान निम्न तथ्यों को पाया गया :-

01. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा पूर्व की सुनवाई दिनांक 23.09.2024 में मांगी गई जानकारी प्रस्तुत की गई एवं उसकी एक प्रति आवेदक को प्रेषित की गई।
02. उपरोक्त प्रत्युत्तर एवं जानकारी पर आवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण स्वरूप उत्तर भी प्रस्तुत किया गया।
03. अनावेदक से पूछने पर उनके द्वारा यह कथन किया गया कि आवेदक के विद्युत संयोजन पर अंकेक्षण राशि की वसूली हेतु प्रथम नोटिस जारी करने के 6 माह पश्चात् तक संयोजन विच्छेदित नहीं किया गया ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत की गई “आर-5” पर मीटर परीक्षण रिपोर्ट की प्रति में हस्ताक्षर एवं मौहर (सील) दिखाई नहीं देने संबंधित उठाई अपत्ति पर अनावेदक को यह निर्देशित किया गया की उक्त परीक्षण रिपोर्ट तालिका पर हस्ताक्षर एवं सील के साथ रिपोर्ट की प्रतिलिपि 3 दिवस के अन्दर आवेदक को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

उभय पक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उभय पक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे और कोई कथन नहीं किया जाना है ना ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है। अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए अनावेदक द्वारा उपरोक्त मापयंत्र परीक्षण रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने तक आदेश हेतु सुरक्षित किया गया।

तत्पश्चात् अनावेदक द्वारा दिनांक 20.11.2024 को ई-मेल से उपभोक्ता के खराब मीटर की परीक्षण रिपोर्ट भेजी गई जिस पर मीटर परीक्षण प्रयोगशाला की सील एवं अधिकृत परीक्षण सहायक ग्रेड-I के हस्ताक्षर भी है। उक्त रिपोर्ट को अभिलेख पर लिया गया।

07. आवेदक के अभ्यावेदन में फोरम के आदेश से असंतुष्ट/क्षुब्ध होने के निम्न आधार है:-

- (i) इन्दौर फोरम ने वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं कानूनी बिंदुओं को नहीं समझकर गंभीर भूल की है।
- (ii) इन्दौर फोरम ने वर्तमान प्रकरण का सुक्ष्मतापूर्वक/गंभीरता पूर्वक अवलोकन नहीं करके भी गंभीर भूल की है।
- (iii) इन्दौर फोरम द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका क्र. 8.40 की मंशा को भी नहीं समझकर गंभीर भूल की हैं।
- (iv) इन्दौर फोरम के द्वारा विशेष रूप से इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी/आवेदक के विद्युत कनेक्शन का मीटर खराब होने का कारण मानते हुए जब एक बार माह अक्टूबर, 2021 से माह अप्रैल 2022 तक की अवधि में 1517 युनिट की नियमित औसत बिलिंग की जा कर उक्त अवधि की बिल राशि अपीलार्थी से प्राप्त कर ली गई है, तो पुनः ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर माह जून, 2022 से माह अगस्त, 2022 में दर्ज विद्युत खपत के आधार पर औसत डिफरेंस 2088 यूनिट की राशि की मांग अपीलार्थी से नहीं की जा सकती है।
- (v) प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जो माह अक्टूबर 2021 से माह अप्रैल, 2022 तक की अवधि की डिफरेंस 2088 यूनिट की राशि अपीलार्थी से मांग की जा रही है, उक्त अवधि कोविड-19 की माहमारी उत्पन्न होने अर्थात् वर्ष 2020 से माह मार्च 2021 के पश्चात् की है, जब पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से खराब होने के कारण कोई भी रोजगार पूर्ण रूप से प्रारंभ नहीं हो पाया था, इसलिए उक्त अवधि में जारी किये गये 1517 औसत यूनिट के स्थान पर माह जून, 2022 से लगातार माह अगस्त, 2022 तक की अवधि में दर्ज कुल खपत के आधार पर एवरेज 2088 यूनिट की खपत आंकने का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है।
- (vi) पावरलूम रोजगार एक ऐसा रोजगार है, जो कभी एक समान नहीं चल पाता है, क्योंकि उक्त रोजगार मारवाड़ी/मास्टर विवर पर आश्रित रहता है, क्योंकि मास्टर विवर जब तक पावरलूम कनेक्शन धारी को कच्चा माल अर्थात् भीम कोन नियमित रूप से प्रदान करता रहेगा तो उक्त रोजगार नियमित रूप से चलता रहेगा, और जब पावरलूम कनेक्शन धारी को मास्टर विवर द्वारा कच्चा माल नियमित रूप से प्रदान नहीं करेगा तो पावरलूम

कनेक्शन धारी का पावरलूम सूचारु रूप से नहीं चल पायेगा। इस तथ्य पर भी इन्दौर फोरम द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है।

- (vii) प्रतिअपीलार्थी के द्वारा वादग्रस्त मीटर को अपीलार्थी की उपस्थिति में जांच नहीं कराया है, और न ही उक्त वादग्रस्त मीटर की जांच के संबंध में कोई सूचना अपीलार्थी को दी गई थी, जोकि विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में उल्लेखित प्रावधान 8.16 एवं 8.17 का खुला उल्लघन इस तथ्य को भी इन्दौर फोरम द्वारा नहीं समझकर गंभीर भूल की गई है।
- (viii) प्रतिअपीलार्थी के द्वारा विवादित राशि रु. 11,651/- का तथाकथित पत्र क्रमांक 890 दिनांक 21.11.2023 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 एवं विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधान 8.40 की मंशा के विपरित जारी किया गया क्योंकि उक्त धारा एवं प्रावधान में स्पष्ट रूप से 15 दिवस का समय दिये जाने का उल्लेख है, इस तथ्य की भी इन्दौर फोरम द्वारा अनदेखी की गई है।
- (ix) प्रतिअपीलार्थी के द्वारा विवादित राशि किस प्रावधान के तहत पुनः मांग की जा रही है, इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए भी विवादित राशि बिना विधि एवं प्रावधान के अपीलार्थी से प्राप्त नहीं की जा सकती है, इस तथ्य को भी इन्दौर फोरम ने नहीं समझकर गंभीर भूल की है।
- (x) प्रतिअपीलार्थी के द्वारा विधि एवं नियम के विपरीत विवादित राशि अपीलार्थी के माह दिसम्बर, 2023 के नियमित बिल में जोड़ कर भेजे जाने के कारण बेमकसद प्रति माह उक्त राशि को बकाया होना दर्शाया जाकर अधिभार एवं सरचार्ज की राशि का भार अपीलार्थी पर पड़ रहा है, इस तथ्य को भी इन्दौर फोरम द्वारा नहीं समझकर गंभीर भूल की गई है।
- (xi) अपीलार्थी अन्य कानूनी बिंदु एवं तथ्य अपने अंतिम तर्क के समय प्रस्तुत करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है।
- (xii) वर्तमान अपील समय अवधि में प्रस्तुत की जा रही है तथा विवादित राशि की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किये गये विद्युत बिल की प्रति अवलोकनार्थ वर्तमान अपील के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही है।

08. सुनवाई के दौरान आवेदक एवं अनावेदक द्वारा कथनों का सारांश निम्नानुसार है :-

अनावेदक के कथन :-

(क) दिनांक 23.09.2024 को अनावेदक ने अपने लिखित प्रतिउत्तर में निम्न कथन करते हुए अभ्यावेदन में अपील के आधार पर कण्डिकावार उत्तर प्रस्तुत किया :-

- i. अभ्यावेदन एवं संलग्न दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि, अपीलार्थी के द्वारा विद्युत कनेक्शन क्रं. 77-06-3957021857 के माह दिसम्बर 2023 के सीसीबी. एडजेस्टमेंट के कालम में अनुचित एवं अवैधानिक रूप से जोड़ी गई राशि रु. 11,651/-को अधिभार एवं सरचार्ज सहित हटाये जाने के संबंध में निवेदन किया गया है। इन्दौर फोरम के समक्ष प्रस्तुत उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रं. 5652/2024 के रूप में पंजीबद्ध किया गया। अवलोकन हेतु अपीलार्थी के द्वारा फोरम के समक्ष प्रेषित किये गये अभ्यावेदन की छायाप्रति आर-1 संलग्न हैं।
- ii. फोरम, इंदौर के द्वारा उक्त प्रकरण क्रं. 5652/2024 की पूर्ण सुनवाई करने के उपरांत दिनांक 18.04.2024 को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी के परिवाद को अस्वीकार किया गया।

**अपील के आधार पर कंडिका वार प्रतिउत्तर-प्रतिअपीलार्थी कम्पनी की ओर से**

- iii. अपीलार्थी श्री मों. कलीम, पिता मों. युसूफ अंसारी, खसरा नं. 139/18, हमीदपुरा, बुरहानपुर, सर्विस क्रं. 77-06-एन 3957021857 के नाम पर औद्योगिक श्रेणी (पावरलूम), 09 एचपी, श्री फेस का विद्युत संयोग उपयोग/उपभोग हेतु आवंटित हैं।

**अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 01 से लगातार कंडिका क्रं. 03 तक अस्वीकार हैं।**

- iv. उक्त कंडिकाओं के माध्यम से फोरम को यह आरोपित करना गलत है कि कानूनी बिन्दुओं को नहीं समझकर गंभीर भूल की हैं, अपितु फोरम के द्वारा विधिक प्रावधानों एवं म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 निहित प्रावधानों का अवलोकन करने के उपरांत ही आदेश प्रदान किया गया है।

**अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 04 अस्वीकार हैं।**

- v. अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग पर माह अक्टूबर, 2021 से लगातार माह मार्च, 2022 के दौरान मासिक औसत खपत 1517 के आधार पर विद्युत देयक जारी किये गये थे, किन्तु अंकेक्षण दल के द्वारा जांच के दौरान पाया गया कि मीटर खराब होने के कारण उक्त समयवधि, माह अक्टूबर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक कम औसत खपत के विद्युत देयक

जारी किये गये हैं, जिससे माह जून, 2022 से लगातार अगस्त, 2022 औसत खपत (2088 यूनिट) को आधार मानते हुए वर्ष 2021-2022 (द्वितीय अधिवार्षिकी) माह अक्टूबर, 2021 से लगातार माह मार्च, 2022 तक की (less billing due to stop/defective meters & average billing) की अंकेक्षण राशि रु. 11,651/- निकाली गई है। अवलोकन हेतु अंकेक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति **आर-3** संलग्न है।

**अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 05 अस्वीकार है।**

- vi. फोरम, इंदौर के द्वारा उक्त प्रकरण में प्रेषित साक्ष्य दस्तावेजों एवं जानकारी के आधार पर सुनवाई के उपरांत माह अक्टूबर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक के विद्युत देयकों को म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंडिका क्रं. 8.44 के अनुसार नये मीटर में तीन माह (माह जून, 2022 से लगातार माह अगस्त, 2022 तक) औसत मीटर खपत 2088 यूनिट के आधार पर ऑडिट (अंकेक्षण) बिलिंग की गई है, जो कि फोरम के आदेशानुसार सही है।

**अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 06 अस्वीकार है।**

- vii. अपीलार्थी ने ऐसा कोई वैधानिक साक्ष्य एवं दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, जिससे विधिक रूप से प्रमाणित हो सके कि अपीलार्थी के उक्त पावरलूम कनेक्शन का उपयोग/उपभोग सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है। उक्त कंडिका के कथन बनावटी एवं मनगढ़त हैं, जिस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

**अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 07 अस्वीकार है।**

- viii. उपभोक्ता के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थित पुराना मीटर दिनांक 05.05.2022 को उपभोक्ता/प्रतिनिधि की उपस्थिति में जांच हेतु निकाला गया है। निकाले गये मीटर का डिस्पोजल प्रति में उल्लेख किया गया है कि, नो डिस्ले पर निकाला गया है, मीटर डिस्पोजल प्रति में उपभोक्ता/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किये हुए हैं। म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंडिका क्रं. 8.16 के तहत दोषपूर्ण मीटर का परीक्षण प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा समय-समय पर किया जाता है। म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 कंडिका 8.17 के तहत उपभोक्ता के आवेदन पत्र के आधार पर मीटर की जांच की जाती है। म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंडिका क्रं. 8.16 के तहत मीटर जांच करने पर मीटर नॉट डिस्ले, बाडी ब्रोकन पायी गई है। अवलोकन हेतु मीटर डिस्पोजल स्लिप की छायाप्रति **आर-04** एवं रिटर्न मीटर की पृष्ठांकित छायाप्रति **आर-05** संलग्न है।

**अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 08 अस्वीकार हैं।**

- ix. अपीलार्थी की उक्त विद्युत संयोग में निकाली गई ऑडिट राशि रु. 11,651/- का सूचना पत्र जारी दिनांक 21.11.2023 के 15 दिवस के पश्चात् भी अपीलार्थी के द्वारा पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया गया, जिससे आगामी माह दिसम्बर, 2023 के विद्युत देयक में सीसीबी. एडजेस्टमेंट के माध्यम से ऑडिट राशि रु. 11,651/- जोड़ी गयी है। अवलोकन हेतु उपभोक्ता रिपोर्ट की छायाप्रति **आर-06** संलग्न हैं।

**अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 09 अस्वीकार हैं।**

- x. अपीलार्थी को प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा प्रकरण के संबंध में पूर्ण जानकारी संबंधित कार्यालय के माध्यम से दे दी गई है, इसके अतिरिक्त फोरम इंदौर के समक्ष प्रकरण की सुनवाई में प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, जिसकी प्रति अपीलार्थी अधिवक्ता को प्रदान की गई हैं।

**अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 10 अस्वीकार हैं।**

- xi. प्रतिउत्तर कंडिका क्रं. 03 एवं 04 के माध्यम से बिल में जोड़ी गई ऑडिट राशि का विस्तृत लेख किया गया है।

- xii. **अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 11 के प्रतिउत्तर की आवश्यकता नहीं हैं।**

**अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 12 अस्वीकार हैं।**

- xiii. अपीलार्थी के द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत करते समय निकाली गई ऑडिट राशि रु. 11,651/- का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा माह जुलाई 2024 की स्थिति में जारी विद्युत देयक राशि (सरचार्ज सहित) रु. 36,346/- में से किस्त स्वरूप राशि रु. 6000/- का ही भुगतान किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा नियमित रूप से विद्युत देयको का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे वर्तमान माह सितम्बर, 2024 की स्थिति में विद्युत बिल में बकाया राशि रु. 53,023 दर्शित हो रही है। अवलोकन हेतु माह सितम्बर, 2024 के विद्युत देयक की छायाप्रति **आर-7** संलग्न हैं।

- xiv. फोरम इंदौर द्वारा प्रकरण का पूर्ण अवलोकन, उभय-पक्षों के रखे गये तर्क कथन एवं पूर्ण सुनवाई के उपरांत ही आदेश प्रदान किया गया है, जो कि अपीलार्थी को स्वीकार करना चाहिए। अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन हैं कि प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा

प्रस्तुत प्रतिउत्तर एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर उक्त अपील को सव्यय निरस्त कर आदेश पारित करने का कष्ट करेंगे।

09. विगत सुनवाई दिनांक 23.09.2024 को अनावेदक प्रतिनिधि श्री के0के0 जायसवाल, सहायक यंत्री बुरहानपुर को प्रकरण से संबंधित चाही गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं दस्तावेज अनावेदक द्वारा दिनांक 08.10.2024 को निम्नानुसार प्रदान की गई : -

(क) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज :-

01. माह जनवरी 2020 से माह अगस्त 2024 तक मीटर में दर्ज खपत का विवरण:-  
अपीलकर्ता श्री मां. कलीम पिता मां. युसूफ के विद्युत संयोग सर्विस क्रं. 77-06-3957021857 के माह जनवरी 2020 से माह अगस्त 2024 तक मीटर में दर्ज खपत, आंकलित खपत, अंकेक्षण के आधार पर औसत खपत एवं फोरम, इंदौर के आदेशानुसार औसत खपत आदि विवरण प्रादर्श-01 संलग्न है।
02. आवेदक उपभोक्ता के समकक्ष औद्योगिक पावरलूम 09 एच.पी. के कम से कम दो अन्य उपभोक्ताओं के माह जनवरी 2020 से माह अगस्त 2024 तक का विद्युत खपत का विवरण : -  
आवेदक उपभोक्ता के समकक्ष औद्योगिक पावरलूम विद्युत सर्विस क्रं 77-07-3957006324 एवं सर्विस क्रं. 77-07-3957023844 के माह जनवरी 2020 से माह अगस्त 2024 के विद्युत खपत का विवरण प्रादर्श-02 संलग्न है।
03. उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मीटर किस माह से खराब पाया गया ?  
रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर अपीलकर्ता के विद्युत संयोग सर्विस क्रं 77-06-3957021857 में माह जनवरी 2021 में खराब हो गया था, जिससे माह जनवरी, 2021 मीटर खपत '0' यूनिट दर्ज की गई हैं एवं माह जनवरी, 2021 से लगातार माह अगस्त, 2021 तक मीटर खपत '0' यूनिट के विद्युत देयक जारी किये गये हैं। जबकि माह जनवरी 2021 के पूर्व माह सितम्बर, 2020 में मीटर खपत 2623 यूनिट, अक्टूबर, 2020 में मीटर खपत '0' यूनिट, नवम्बर, 2020 में मीटर खपत 3549 यूनिट एवं दिसम्बर, 2020 में मीटर खपत 3549 यूनिट दर्ज की गई हैं।

04. ऑडिट द्वारा प्रकरण के संबंध में लिखित पैरा रिपोर्ट की प्रति—

प्रकरण के संबंध में ऑडिट पैरा की लिखित रिपोर्ट प्रादर्श-03 संलग्न है।

05. विद्युत प्रदाय संहिता में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार मीटर क्यों नहीं बदला गया स्पष्ट करें ?

प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर खराब/बंद मीटर बदलने का पूर्णतः प्रयास किया जाता है। अपीलकर्ता के विद्युत संयोग का मीटर माह जनवरी, 2021 में खराब हुआ है, उस समयावधि में 3 – फेस मीटर की कमी होने के कारण समय-सीमा में बदला नहीं जा सका है। माह मई, 2022 में मीटर की उपलब्धता होने पर खराब मीटर को बदलकर दूसरा मीटर स्थापित किया गया है।

अतः निवेदन है कि, प्रतिअपीलार्थी कम्पनी को उक्त अपील प्रकरण के संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ भी कहना शेष नहीं है।

अतः प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा पूर्व सुनवाई दिनांक 23.09.2024 को प्रस्तुत जबाबदावा, तर्क – प्रतिउत्तर एवं प्रेषित अतिरिक्त जानकारी के आधार पर उक्त अपील को सव्यय निरस्त कर आदेश पारित करने का कष्ट करेंगे।

(ख) आवेदक ने उनके लिखित प्रतिउत्तर दिनांक 18.10.2024 द्वारा निम्नलिखित कथन किया:—

1. अपीलार्थी के द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी के विद्युत कनेक्शन क्रं. 77-06-3957021857 के माह दिसम्बर, 2023 के नियमित बिल में अनुचित एवं अवैधानिक रूप से जोड़ी गई रू. 11,651/- को निरस्त कराये जाने संबंधी वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है, किन्तु त्रुटि वश उक्त राशि के स्थार पर अपीलार्थी के भाई मोहम्मद सलीम पिता मोहम्मद युसुफ के विद्युत कनेक्शन क्रं. 77-06-3957020133 की तथा कथित अंकेक्षण दल द्वारा निकाली गई डिफरेंस राशि रू. 29,959/- का उल्लेख किया गया है, जो उपरोक्त आधारों पर क्षमा किये जाने योग्य होकर दुरुस्त किये जाने योग्य है।
2. प्रतिअपलार्थी के द्वारा माननीय आयोग के समक्ष दिनांक 23.09.2024 को कण्डिकावार जवाब एवं सात दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है एवं दिनांक 08.10.2024 को अतिरिक्त जवाब और उसके साथ प्रदर्शित तीन दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, विद्युत लोकपाल महोदय उपरोक्त दोनों जवाब का गंभीरता एवं सुक्ष्मता पूर्वक अवलोकन करने पर यह पायेगे कि

प्रतिअपीलार्थी ने उपरोक्त दोनों जवाब में कही भी इस बात का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अंकेक्षण दल द्वारा तथा कथित राशि रु. 11,651/- किस प्रावधान अनुसार निकाला गया है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

3. अपीलार्थी का विद्युत लोकपाल से इस संबंध में यह निवेदन है कि विद्युत अधिनियम 2003 और विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में दर्शाये प्रावधानों के अनुरूप ही समस्त कार्यवाही किये जाने का प्रतिअपीलार्थी एवं उनके संबंधित अधिकारियों को अधिकृत किया गया है किन्तु वर्तमान प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी के अंकेक्षण दल द्वारा जो विवादित राशि रु. 11,651/- डिफरेंस राशि के रूप में अपीलार्थी से मांग की जा रही है, उक्त राशि किस नियम और प्रावधान अनुसार निकाली गई है, उसका कोई उल्लेख अंकेक्षण दल ने भी अपनी रिपोर्ट में नहीं दर्शाया है।
4. प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी की ओर माह अक्टूबर, 2021 से माह अप्रैल, 2022 तक की अवधि में उक्त कनेक्शन का मीटर तथा कथित रूप से खराब होना बताते हुए 1517 एवरेज युनिट के विद्युत देयक जारी करते हुए विद्युत बिल राशि प्राप्त की जा चुकी है इसलिए पुनः उक्त अवधि की डिफरेंस युनिट की राशि तथा कथित अंकेक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से मांग नहीं की जा सकती है।
5. प्रतिअपीलार्थी के द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 और विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के प्रावधान 8.40 के विपरीत तथा कथित पत्र क्रमांक 890 दिनांक 21.11.2023 जारी किया गया है क्योंकि उक्त प्रावधान के मुताबिक किसी भी प्रकार की राशि की मांग किये जाने संबंधी सूचना पत्र 15 दिवस की अवधि का जारी किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है, जबकि प्रतिअपीलार्थी ने तथा कथित पत्र में 07 दिवस का उल्लेख कर अपीलार्थी की ओर जारी किया गया है।
6. प्रतिअपीलार्थी के द्वारा विधि एवं नियम के विपरीत विवादित राशि अपीलार्थी को माह दिसम्बर, 2023 के मासिक देयक में अनुचित एवं अवैधानिक रूप से जोड़ दिये जाने के कारण उक्त अवधि से आज दिनांक तक अपीलार्थी की ओर जारी मासिक विद्युत देयक पिछला बकाया के रूप में दर्शित होने के कारण विद्युत देयक जारी किया जा रहा है, जिसमें *Previous Month Delayed Payment Surcharges* रु. 523/- एवं *Due Date*

Late Payment Surcharge रू. 655/— वास्ते प्रमाण प्रतिअपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रं. आर-7 देखें।

उपरोक्त आधार पर माह दिसम्बर, 2023 से आज दिनांक तक के समस्त मासिक विद्युत देयक के उपरोक्त मदद में जोड़ी गई समस्त राशि निरस्त किये जाने योग्य है।

7. प्रतिअपीलार्थी के द्वारा दिनांक 08.10.2024 को हो अतिरिक्त जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये जाकर प्रादर्श दस्तावेज क्रं. 1 जिसमें वर्ष 2020 की कुल 24131 कुल खपत की एवरेज मासिक बिल 2011, वर्ष 2021 की कुल खपत 6068 बताई जाकर मासिक औसत युनिट 506 दर्शाई गई है जो कि सरासर गलत है क्योंकि वर्ष 2021 में कोई खपत दर्ज ही नहीं हुई है केवल प्रतिअपीलार्थी द्वारा माह सितम्बर, 2021 से माह दिसम्बर, 2021 में 1517 औसत युनिट के मासिक विद्युत देयक उक्त 04 माह की अवधि में जारी किये गये हैं, इसी प्रकार वर्ष 2022 की कुल खपत 14878 युनिट दर्शाई जाकर माह जनवरी 2022 से माह अप्रैल 2022 तक कुल 04 माह में औसत युनिट 1517 के जारी किये गये हैं, जिसमें माह जून 2022 की कुल खपत 3465 दर्शाई गई है, वह 01 माह की खपत न होकर 02 माह की अर्थात् माह मई एवं जून 2022 की है, इसी प्रकार वर्ष 2023 की कुल खपत 27678 दर्शाई जाकर औसत मासिक विद्युत खपत 2360 दर्शाई गई है, जो सही है तथा वर्ष 2024 की कुल 08 माह की विद्युत खपत 17328 दर्शाकर औसत मासिक विद्युत खपत 2166 दर्शाई गई है, जो कि सही है एवं माह सितम्बर, 2021 से माह अप्रैल, 2022 तक की अवधि की एवरेज 1517,1517,1517 युनिट जोड़कर 6068, 6068 एवरेज युनिट दर्शाया है जो कि गलत है।

अतः विद्युत लोकपाल से निवेदन है कि उपरोक्त समस्त आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील स्वीकार की जाकर प्रतिअपीलार्थी द्वारा माह दिसम्बर, 2023 के विद्युत बिल में जोड़ी गई विवादित राशि रू. 11,651/— अधिभार एवं सरचार्ज सहित निरस्त किये जाने संबंधी आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को प्रतिअपीलार्थी की वर्तमान अपील खर्च रू. 5,000/— भी दिलाये जाने की आदेश प्रदान करने की कृपा की जावे।

10. अभ्यावेदन एवं सुनवाई के दौरान इस प्रकरण में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए :-

- विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र में प्रकरण क्रमांक W0565224 आदेश दिनांक 18.04.2024 की प्रति।

- आवेदक का विद्युत देयक माह दिसम्बर, 2023 एवं जुलाई, 2024 मीटर रिप्लेसमेंट एण्ड पी.डी. फार्म, मीटर परीक्षण रिपोर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स M/s V.K. Dafria & Company के Audit report की प्रति, आवेदक द्वारा माह जनवरी, 2020 से अगस्त, 2024 तक की माहवारी विद्युत खपत एवं कम्प्यूटराईस्ट बिलिंग हिस्ट्री, आवेदक के समकक्ष विद्युत खपत वाले दो अन्य पावरलूम की भी माह जनवरी, 2020 से अगस्त, 2024 तक की मासिक खपत एवं कम्प्यूटराईज बिलिंग हिस्ट्री।

11. आवेदक के अभ्यावेदन में प्रस्तुत विषय वस्तु एवं प्रकरण में सुनवाई के दौरान उभयपक्षों के कथनानुसार प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु निम्नानुसार है:—

- (i) आवेदक श्री मोहम्मद कलीम का 09 हार्स पावर (HP) स्वीकृत भार का पावरलूम हेतु LV-4.1a टैरिफ श्रेणी में विद्युत संयोजन है। आवेदक/उपभोक्ता का विद्युत मीटर माह जनवरी, 2021 से अगस्त, 2021 तक खराब रहा है एवं उपभोक्ता का खराब मीटर अनावेदक के पास विद्युत मीटर अनुपलब्ध होने के कारण लगभग 16 माह पश्चात् 05.05.2022 को बदला गया। अनावेदक द्वारा खराब मीटर की जांच पर मीटर की बॉडी ब्रोकन एवं डिस्पले खराब पाया गया।
- (ii) उपरोक्त स्थिति में मीटर के खराब होने के कारण अनावेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी अनुसार माह सितम्बर, 2021 से अप्रैल, 2022 तक 1517, युनिट प्रति माह की आंकलित खपत के आधार पर आवेदक को विद्युत देयक दिया गया। तत्पश्चात् आवेदक/उपभोक्ता के विद्युत संयोजन पर अंकेक्षण दल (Audit party) द्वारा वर्ष 2021-2022 (द्वितीय अर्धवार्षिक) माह अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान अनावेदक द्वारा की गई उपरोक्त आंकलित विद्युत खपत को कम पाये जाने के कारण 2088 युनिट प्रति माह की आंकलित खपत नये मीटर में माह जून, 2022 से अगस्त, 2022 में रिकार्ड की गई वास्तविक खपत के औसत आधार पर निकाली गई।
- (iii) अंकेक्षण दल के उपरोक्त आंकलित विद्युत खपत के आधार पर अनावेदक ने पत्र क्रमांक 890 दिनांक 21.11.2023 द्वारा आवेदक को अतिरिक्त राशि रु. 11,651/- के भुगतान हेतु लिखा गया। आवेदक द्वारा समय सीमा के पश्चात् भी रु. 11,651/- का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अनावेदक द्वारा उक्त राशि को आवेदक के दिसम्बर, 2023 के विद्युत देयक में भुगतान हेतु जोड़ दिया गया।

- (iv) उपरोक्त अंकेक्षण राशि रु. 11,651/- से असंतुष्ट/क्षुब्ध होने के कारण उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन के समक्ष अपनी शिकायत के निवारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक W0565224 पर दर्ज कर एवं उभय पक्षों को सुनकर अपना आदेश दिनांक 18.04.2024 को पारित कर अंकेक्षण दल द्वारा निर्धारित की गई आंकलित खपत 2088 यूनिट प्रतिमाह की गणना को "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021" की कण्डिका 8.44 के अनुसार उचित मानते हुए परिवाद को अस्वीकार कर निरस्त किया गया।
- (v) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के उपरोक्त आदेश से क्षुब्ध एवं असंतुष्ट होने के कारण उपभोक्ता द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष वर्तमान अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभ्यावेदन में प्रस्तुत विषय वस्तु के सूक्ष्म परीक्षण करने हेतु अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी से निम्न जानकारी मंगाई गई।
- जनवरी, 2020 से अगस्त, 2024 तक मीटर में दर्ज खपत का विवरण आंकलित खपत के आधार के साथ ।
  - आवेदक उपभोक्ता के समकक्ष अन्य पावर लूम, 9 एच.पी. के कम से कम दो अन्य उपभोक्ताओं का भी जनवरी, 2020 से अगस्त, 2024 तक का विद्युत खपत का विवरण।
  - उपलब्ध रिकार्ड अनुसार मीटर किस माह से खराब पाया गया ?
  - अंकेक्षण दल द्वारा प्रकरण के संबंध में लिखित पैरा रिपोर्ट की प्रति।
  - विद्युत प्रदाय संहिता में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार मीटर क्यों नहीं बदला गया ?
- (vi) उपरोक्त बिंदुओं पर अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिया गया उत्तर अन्य जानकारी के साथ दिनांक 08.10.2024 को प्रस्तुत किया गया। आवेदक ने भी अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं जानकारी पर अपना स्पष्टीकरण उत्तर दिनांक 18.10.2024 को प्रस्तुत किया। अनावेदक एवं आवेदक द्वारा लिखित उपरोक्त कथनों को इस आदेश के पूर्व पैरा क्रमांक 09 में रिकार्ड किया गया। अनावेदक द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर दी गई जानकारी निम्नानुसार है:-
- अनावेदक ने यह स्पष्ट किया कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन में स्थापित मीटर माह जनवरी, 2021 से खराब हो गया था, जिस माह में कुल शून्य यूनिट ही खपत

दर्ज की गई जबकि पूर्व माहों सितम्बर, 2020 में 2623 यूनिट, नवम्बर, 2020 में 3445 यूनिट और दिसम्बर, 2020 में 3549 यूनिट रही है। अनावेदक द्वारा यह कथन किया गया कि विद्युत मीटर उपलब्ध नहीं होने के कारण माह अप्रैल, 2022 तक "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021" के प्रावधान में विनिर्दिष्ट समय सीमा में उपभोक्ता का खराब मीटर नहीं बदला जा सका।

- अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी ने ऑडिट रिपोर्ट द्वारा इस प्रकरण के संबंध में की गई आंकलित खपत से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जिससे यह ज्ञात होता है कि अंकेक्षण दल द्वारा जून, 2022, जुलाई, 2022 एवं अगस्त, 2022 की वास्तविक विद्युत खपत 3465, 1946, एवं 853 यूनिट क्रमशः के आधार पर मासिक आंकलित खपत 2088 यूनिट का निर्धारण किया गया।

12. प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों/दस्तावेजों के अवलोकन एवं उभयपक्षों (आवेदक/अनावेदक) द्वारा कथनों के परीक्षण उपरांत निष्कर्ष एवं निर्णय निम्नानुसार है :-

- (i) आवेदक ने अपने अभ्यावेदन में यह तर्क दिया है कि माह अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि में अंकेक्षण दल द्वारा निर्धारित 2088 आंकलित यूनिट प्रति माह की अन्तर राशि इसलिए अनुचित है क्योंकि उक्त अवधि में कोविड 2019 की माहमारी का उत्पन्न होना एवं वर्ष 2020 के पश्चात् की है, जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण कोई भी रोजगार पूर्ण रूप से प्रारंभ नहीं हो पाया था।
- (ii) आवेदक ने दूसरा तर्क यह भी दिया है कि पावरलूम रोजगार ऐसा रोजगार है जोकि एक मारवाड़ी/मास्टर विवर द्वारा कच्चा माल अर्थात् भीमकोन नियमित रूप से प्रदान करने पर ही सुचारु रूप से चलता है।
- (iii) आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अनावेदक द्वारा विवादित राशि रु. 11,651/- दिनांक 21.11.2023 के पत्र द्वारा 7 दिवस में भुगतान करने हेतु मांगी गई जो कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 एवं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 2003 की धारा 56 एवं "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021" की कण्डिका 8.40 की मंशा के विपरीत है।
- (iv) आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों के दृष्टिगत सुनवाई के दौरान अनावेदक से माह जनवरी, 2020 से माह अगस्त, 2024 के दौरान आवेदक के मीटर में दर्ज माहवारी विद्युत

खपत के साथ-साथ आवेदक के समकक्ष दो अन्य 9 एच.पी. स्वीकृत भार के पावर लूम उपभोक्ताओं द्वारा समान अवधि में की गई विद्युत खपत की जानकारी भी मांगी गई । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त जानकारी से माहवार विद्युत खपत की स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट होती है :-

**तालिका क्रमांक:- 01 वर्ष 2020 की विद्युत आंकलित खपत**

क्रमांक	माह	आवेदक द्वारा विद्युत खपत (युनिट)	अन्य उपभोक्ता मो. असलम मो. हाफिज बुरहानपुर विद्युत भार 09HP सर्विस क्रमांक 77-06-3957006324 द्वारा विद्युत खपत (युनिट)	अन्य पावरलूम उपभोक्ता श्री अब्दुल रब अब्दुल हक बुरहानपुर विद्युत भार 09HP सर्विस क्रमांक 77-06-3957023844 द्वारा विद्युत खपत (युनिट)
01	जनवरी 2020	3622	2261	2764
02	फरवरी 2020	1979	1384	2571
03	मार्च 2020	1979	1384	2571
04	अप्रैल 2020	0	180	120
05	मई 2020	966	1460	512
06	जून 2020	735	1756	1544
07	जुलाई 2020	2600	2568	2265
08	अगस्त 2020	2529	2871	2803
09	सितम्बर 2020	2623	2142	2077
10	अक्टूबर 2020	0	1801	1940
11	नवम्बर 2020	3549	1886	2571
12	दिसंबर 2020	3549	1441	2121

तालिका क्रमांक:- 02 वर्ष 2021 की विद्युत आंकलित खपत

क्रमांक	माह	आवेदक द्वारा विद्युत खपत (युनिट)	अन्य पावरलूम उपभोक्ता मो. असलम मो. हाफिज बुरहानपुर विद्युत भार 09HP सर्विस क्रमांक 77-06-3957006324 द्वारा विद्युत खपत (युनिट)	अन्य पावरलूम उपभोक्ता श्री अब्दुल रब अब्दुल हक बुरहानपुर विद्युत भार 09HP सर्विस क्रमांक 77-06-3957023844 द्वारा विद्युत खपत (युनिट)
01	जनवरी 2021	0	580	3171
02	फरवरी 2021	0	105	2832
03	मार्च 2021	0	137	2513
04	अप्रैल 2021	0	1781	2580
05	मई 2021	0	1957	2241
06	जून 2021	0	2197	2392
07	जुलाई 2021	0	2487	2418
08	अगस्त 2021	0	2092	2081
09	सितम्बर 2021	आंकलित खपत 1517	1440	2296
10	अक्टूबर 2021	आंकलित खपत 1517	2092	2739
11	नवम्बर 2021	आंकलित खपत 1517	3475	2209
12	दिसंबर 2021	आंकलित खपत 1517	3568	2495

तालिका क्रमांक:- 03 वर्ष 2022 की विद्युत आंकलित खपत

क्रमांक	माह	आवेदक द्वारा विद्युत खपत (युनिट)	अन्य पावरलूम उपभोक्ता मो. असलम मो. हाफिज बुरहानपुर विद्युत भार 09HP सर्विस क्रमांक 77-06-3957006324 द्वारा विद्युत खपत (युनिट)	अन्य पावरलूम उपभोक्ता श्री अब्दुल रब अब्दुल हक बुरहानपुर विद्युत भार 09HP सर्विस क्रमांक 77-06-3957023844 द्वारा विद्युत खपत (युनिट)
01	जनवरी 2022	आंकलित खपत 1517	3371	2641
02	फरवरी 2022	आंकलित खपत 1517	3564	2674
03	मार्च 2022	आंकलित खपत 1517	3342	2004
04	अप्रैल 2022	आंकलित खपत 1517	3981	2181
05	मई 2022	813	2887	1728
06	जून 2022	3465	4055	2273
07	जुलाई 2022	1946	2631	2011
08	अगस्त 2022	853	2823	2301
09	सितम्बर 2022	2275	2744	3130
10	अक्टूबर 2022	2091	2467	1898
11	नवम्बर 2022	1783	3511	2486
12	दिसंबर 2022	1652	3671	2657

- (v) उपरोक्त तालिका क्रमांक 01, 02 एवं 03 अनुसार आवेदक एवं उसके समकक्ष समान विद्युत भार का उपभोग करने वाले दो अन्य पावरलूम उपभोक्ताओं द्वारा की गई विद्युत खपत से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक का मीटर माह जनवरी, 2021 से अप्रैल 2022 तक खराब रहा, जिसके कारण कोई भी खपत मीटर में दर्ज नहीं हुई एवं इसके पश्चात् माह जून, 2022, जुलाई, 2022 एवं अगस्त, 2022 में 3465, 1946 एवं 853 यूनिट क्रमशः का उपयोग

किया गया। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि अन्य दोनों उपभोक्ताओं द्वारा जनवरी, 2021 से अप्रैल, 2022 तक औसत 2260 युनिट एवं 2466 युनिट क्रमशः की विद्युत खपत की गई एवं अन्य दोनों उपभोक्ताओं द्वारा उक्त अवधि में प्रत्येक माह में विद्युत की खपत लगातार रही है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क की फोरम द्वारा जिन माहों के औसत के आधार पर आंकलित खपत निर्धारित की गई उस अवधि में रोजगार पूर्ण रूप से खराब था या प्रारंभ नहीं हो पाया था या कच्चा माल पावरलूम में नहीं होने के कारण पावर लूम कार्यरत नहीं था, स्वीकार योग्य नहीं है।

(vi) आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 एवं "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021" की कण्डिका 8.40 के संदर्भ में प्रस्तुत तर्क भी इस प्रकरण में निम्न कारणों से स्वीकार योग्य नहीं है:-

- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 में विद्युत के लिये किसी चार्ज के भुगतान नहीं किए जाने पर विद्युत संयोजन को विच्छेदित करने के पूर्व 15 दिवस के लिखित नोटिस देने का प्रावधान है, परन्तु इस प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों एवं कथनों के अनुसार अनावेदक द्वारा लिखित नोटिस देने से लगभग छः (6) माह तक आवेदक का विद्युत संयोजन विच्छेदित नहीं किया गया। अतः अंकेक्षण राशि के भुगतान हेतु लिखित नोटिस में समय-सीमा पर आवेदक का तर्क इस प्रकरण में अप्रासंगिक है।

- "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021" की कण्डिका 8.40 में निम्नलिखित प्रावधान है:-

कण्डिका 8.40

*"अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की मांग को छोड़कर, अंकेक्षण (अंकेक्षण) अथवा सतर्कता (विजिलेंस) सम्बन्धी वसूली तथा अन्य बकाया राशि की वसूली के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे, जिसके अन्तर्गत ऐसे देयकों के साथ देयक तैयार करने के आधार का विवरण तथा देयक की अवधि इत्यादि लिखित में प्रदान की जाएगी। उपरोक्त देयकों का भुगतान निर्दिष्ट की गई अवधि (जो 15 पूर्ण दिवस से कम न होगी) की बकाया राशि को उपभोक्ता के आगामी देयकों में निरंतर जोड़ा जाएगा, जब तक उपभोक्ता द्वारा देयक का भुगतान नहीं कर दिया जाता है या अन्यथा उसका समायोजन नहीं कर दिया जाता।"*

वर्तमान प्रकरण में अनावेदक द्वारा अंकेक्षण राशि के भुगतान हेतु दिनांक 21.11.2023 को लिखित नोटिस देने के पश्चात् भी आवेदक द्वारा उक्त राशि के भुगतान नहीं किए जाने पर उक्त राशि को

माह दिसम्बर, 2023 के विद्युत देयक, जोकि 17.12.2023 को जारी हुआ, में जोड़ दिया गया। परन्तु आवेदक/उपभोक्ता द्वारा अंकेक्षण राशि का न तो 15 दिवस में भुगतान किया गया और न ही उक्त राशि के भुगतान नहीं होने पर आवेदक का विद्युत संयोजन विच्छेदित किया गया।

उपरोक्त अनुसार अनावेदक द्वारा "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 8.40 का पालन नहीं किये जाने हेतु तर्क भी इस प्रकरण में स्वीकार योग्य नहीं है।

- (vii) विद्युत मीटर के खराब/दोषपूर्ण होने की दशा में प्रदाय की गई विद्युत मात्रा के निर्धारण हेतु "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021" की कण्डिका 8.44 (ख) में निम्न प्रावधान है:-

*"जिस अवधि में मापयंत्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा :-*

- (क) *"यदि प्रतिपरीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (रीडिंग) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।*
- (ख) *ऐसे प्रकरण में, जहां मुख्य मापयंत्र (मेन मीटर) दोषपूर्ण हो तथा प्रति-परीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) स्थापित न किया गया हो या दोषपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयंत्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर दोषपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन -चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार पर किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं, जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ-साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय*

*प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे, जिनका निर्णय इस सम्बन्ध में अन्तिम होगा।”*

(viii) उपरोक्तानुसार इस प्रकरण में खराब विद्युत मीटर के पूर्व तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों में विद्युत खपत की स्थिति को देखते हुए उक्त अवधि के औसत विद्युत खपत के आधार पर आंकलित खपत की गणना करना न्यायसंगत नहीं होता। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त कण्डिका 8.44 (ख) में प्रावधान अनुसार अंकेक्षण दल द्वारा विद्युत मीटर बदलने के पश्चात् प्रथम तीन माह जून, 2022 से अगस्त, 2022 की औसत खपत के आधार पर आंकलित यूनिट का निर्धारण उचित पाया जाता है।

उपरोक्त निष्कर्ष के साथ फोरम का आदेश यथावत् रखा जाता है। अनावेदक इस आदेश की तिथि से 45 दिवस के भीतर आवेदक को संशोधित विद्युत देयक प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

(ix) उपरोक्त निर्णय के साथ अनावेदक को यह निर्देशित किया जाता है कि वह विद्युत मापयंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि खराब/जले मापयंत्रों का “मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021” की कण्डिका 8.26 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा में प्रतिस्थापन किया जावे। अनावेदक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि दोषपूर्ण मापयन्त्रों के परीक्षण से संबंधित समस्त प्रकरणों में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका 8.16 एवं 8.18 में प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें।

13. उक्त निर्णय एवं निर्देश के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है। उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
14. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो।

(गजेन्द्र तिवारी)  
विद्युत लोकपाल